

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2020/1024

दिनांक : 04/01/2021

कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटन किये जाने हेतु पिछले कई वर्षों से पंजीकरण योजना नहीं खोले जाने एवं उनके द्वारा की गई मांग के फलस्वरूप आवास आवंटन से अब तक वंचित रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए भी विभिन्न शहरों में रिक्त भूखण्डों की उपलब्धता अनुसार फ्लैट्स/आवासों के पंजीकरण हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष-2021 जयपुर, भिवाड़ी, जोधपुर, आबूरोड, बीकानेर एवं भीलवाड़ा शहरों/कस्बों में प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त-....., रा० आ०म०, ।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता खण्ड-....., रा० आ०म० ।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी....., रा०आ०म०, जयपुर।
11. सम्पदा प्रबंधक वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक